

उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

अधिकारी:-श्रीमति टीना डाबी, आई.ए.एस.

नम्बर:-33/2019 प्रार्थना पत्र

श्रीगणेश पिता अमरा माली, उम्र बालिग निवासी समोड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा
मुख्या पिता अमरा माली, उम्र बालिग निवासी समोड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा
ते गेंदी बेवा अमरा माली, उम्र बालिग निवासी समोड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा
मा पिता किशना माली, उम्र बालिग निवासी समोड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा
हंका पिता किशना माली, उम्र बालिग निवासी समोड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा
शिवेश्वर पिता हजारी माली, उम्र बालिग निवासी समोड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा
भेरूलाल पिता हजारी माली, उम्र बालिग निवासी समोड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
ति मांगी पत्नि हजारी माली, उम्र बालिग निवासी समोड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
देवीलाल पिता गोकुल माली, उम्र बालिग निवासी समोड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
मति विमला देवी पत्नि भगवत लाल माली, उम्र बालिग निवासी कोदूकोटा तहसील व जिला
लवाड़ा (राजस्थान)

-----प्रार्थीगण

बनाम

भंवरसिंह पिता मूलसिंह राजपूत, उम्र बालिग निवासी समोड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा
शंकरसिंह पिता नारायणसिंह राजपूत, उम्र बालिग निवासी समोड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा
भेरू पिता दलेलसिंह राजपूत, उम्र बालिग निवासी समोड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा
रघुनाथ सिंह पिता नाहरसिंह राजपूत, उम्र बालिग निवासी समोड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा
भेरूसिंह पिता नाहरसिंह राजपूत, उम्र बालिग निवासी समोड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा
हरिसिंह पिता नाहरसिंह राजपूत, उम्र बालिग निवासी समोड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा
शंकरलाल पिता बंशीलाल विश्णोई, उम्र बालिग निवासी दरीबा तहसील व जिला भीलवाड़ा
लालाराम पिता उदा अहीर, उम्र बालिग, निवासी समोड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
स्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

-----विपक्षीगण


प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

:: निर्णय ::

दिनांक:-8.2.2019

वकील प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-
अधिनियम 1956 के तहत विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम समोड़ी
र हल्का दरीबा भू-अभिलेख निरीक्षक पांसल तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी
701, 702, 873, 874, 875, 876 कुल कित्ता 6 रकबा 8 बीघा 03 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण के नाम
रेकार्ड है। विपक्षीगण विवादित आराजियात के पड़ोसी हैं। प्रार्थीगण के खाते व कब्जे काश्त की
जियात के सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। इस
प्रार्थीगण अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी
चाहते हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढी किये जाने का
प्रदान फरमावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दिनांक 10.1.2019 को पंजीबद्ध किया जाकर जरिये
न विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुये। जिसे शामिल
किये गये। विपक्षीगण संख्या 1 से 9 को कितनी ही मर्तबा विधिवत् आवाजे दिलाई जाने के
प्राप्त भी उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 4.2.2019 को एक तरफा कार्यवाही किये जाने का
दिया गया।


उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

वकील प्रार्थीगण ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थीगण की एक बहस सुनी गयी। बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण ने कथन किया कि प्रार्थीगण को अपने खाते के काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल काश्त करते समय, काटते समय सीमा बाबत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता है। इस कारण प्रार्थीगण अपने एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध कराने में रहने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

:: आ दे श ::

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम समोड़ी पटवार हल्का दरीबा भू-अभिलेख निरीक्षक पांसल तहसील ला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 701, 702, 873, 874, 875, 876 कुल किता 6 रकबा 8 03 बिस्वा भूमि की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता है। गढ़ी किये जाने के लिये भू-अभिलेख निरीक्षक, पांसल को 900/-रूपये (नौ सौ रूपये) नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी/उपस्थिति में पत्थरगढ़ी की जावें। पत्थरगढ़ी जाने के लिये तहसीलदार, भीलवाड़ा को पालना हेतु लिखा जावें।

(टीना डाबी)

आई.एस.
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 8.2.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा